F.No.19-6/2001-PP.I (Vol. II)
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture and Cooperation

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated the 13th December, 2005.

Subject: Notification and Corrigendum for restriction on use of Endosulfan in the cashew plantation area in the State of Kerala – circulation regarding.

The undersigned is directed to enclose herewith a notification no. S.O. 1533(E) dated 25.10.2005 and Corrigendum No. S.O. 1707 (E) dated 5th December, 2005 regarding restriction on use of Endosulfan in the cashew plantation area in the State of Kerala and to request you to place the aforesaid notifications on the Departmental website of the Department i.e. www.agricoop.nic.in.

Encl. As above.

Lakhi Prasad

(Lakhi Prasad)
Under Secretary to the Government of India

National Informatics Centre,
(Dr. M.V.S. Sarma, Senior Technical Director),
Department of Agriculture and Cooperation,
Krishi Bhavan, New Delhi.

PC-1/SK/2005(3)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1257] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2005/अग्रहायण 14, 1927

No. 1257] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2005/AGRAHAYANA 14, 1927

## कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

### शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2005

**का.आ. 1707(अ).**—दिनांक 25 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के दिनांक 25 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना सं. 1533(अ) में :—

(i) आदेश के प्रारूप के पैरा 1(1) में पृष्ठ 2 पर अंग्रेजी पाठ में "केरल राज्य में एन्डोसल्फान का प्रयोग प्रकाशन अथवा अंतिम अधिसूचना की तारीख से ऐसे समय तक रोके रखा जाएगा" को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा "केरल राज्य में एन्डोसल्फान का प्रयोग अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उस समय तक रोके रखा जाएगा।"

[फा. सं. 19-6/2001-पी.पी. I(खण्ड II)]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th December, 2005

**S.O. 1707(E).**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation No. 1533(E) dated 25th October, 2005 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 25th October, 2005 :—

(i) In English version at page 2 in Draft Order para 1(1) "The use of endosulfan in Kerala State shall be kept hold from the date of publication or the final notification till" shall be substituted as "The use of endosulfan in Kerala State shall be kept on hold from the date of publication of the final notification till."

[F. No. 19-6/2001-PP.1 (Vol. II)]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

3490 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1138] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2005/कार्तिक 3, 1927

No. 1138] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2005/KARTIKA 3, 1927

## कृषि मंत्रालय

## (कृषि और सहकारिता विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली 25 अक्तूबर, 2005

**का.आ. 1533(अ).**—केरल राज्य में, काजू बागान क्षेत्रों में एण्डोसल्फान के प्रयोग के कारण गंभीर स्वास्थ्य असामान्यताओं का आरोप लगाने वाली मीडिया की विस्कृत रिपोर्टें आई हैं।

और, राष्ट्रीय उपजीविका स्वास्थ्य संस्थान (एन.आई.ओ.एच.) ने केरल के कासरगोड जिले में प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन किया तथा असामान्य रोगों की अधिक विद्यमानता की रिपोर्ट दी।

और, केन्द्रीय सरकार ने, एण्डोसल्फान की सुरक्षा के पुर्नविलोकन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की।

और, माननीय केरल उच्च न्यायालय ने ओ.पी. सं. 20716/2002, 17026/2002,16300/2001 तथा 29371/2001 में 12 अगस्त, 2002 को, एक अंतरिम आदेश पारित किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एण्डोसल्फान के खतरों पर विचार करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा उसे दी गई सलाह को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे विनिश्चय करने तक, किसी व्यापार नाम के अधीन एण्डोसल्फान या उसकी निर्मितियों का राज्य के भीतर प्रयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए विनिश्चय की दृष्टि से उक्त आदेश के उपांतरण के लिए कार्यवाही करने हेतु पक्षकारों की स्वतंत्रता सहित अगला आदेश होने तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार, ने उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि केरल राज्य में एण्डोसल्फान के प्रयोग को,ऐसे समय तक के लिए रोक कर रखा जाए, जिससे कि पाडरे ग्राम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए उत्तरदायी बातों की पहचान करने के लिए महामारी विज्ञान अध्ययन के परिणम उपलब्ध हो सकें।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम,1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात् :—

## आदेश प्रारूप

1. (1) केरल राज्य में, एण्डोसल्फान का प्रयोग अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ऐसे समय तक रोके रखा जाएगा जब तक कि पाडरे ग्राम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए उत्तरदायी बातों की पहचान करने वाले महामारी-विज्ञान संबंधी अध्ययन के परिणाम उपलब्ध नहीं होते और केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विनिश्चय नहीं किया जाता।

(2) लेबलों और परचों पर मोटे अक्षरों में "**अगला आदेश होने तक केरल राज्य में विक्रय, वितरण और प्रयोग के लिए प्रतिषिद्ध**" निदेश की अपेक्षा को सम्मिलित करने के लिए सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से जिसके अंतर्गत नए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भी हैं, रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा एण्डोसल्फान के लिए अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस ले लिए जाएंगे।

(3) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में, जो इस आदेश के अनुसार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण समिति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नहीं लौटाते, कीटनाशी अधिनियम,1968 की धारा 13 के अधीन उन्हें अनुदत्त अनुज्ञप्ति नवीकृत नही की जाएगी और/या अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

2. केरल राज्य की सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए अपनी अधिकारिता में ऐसे सभी कदम उठाएगी, जैसा वह उचित समझे।

II. प्रारूप आदेश, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से जिसको इस आदेश को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात्, विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में सुझाव या आक्षेप करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें केन्द्रीय सरकार को विचार करने के लिए अग्रेषित कर सकेगा।

III. यह स्पष्ट किया जाता है कि केरल में एण्डोसल्फान के प्रयोग पर प्रस्तावित रोक माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्दिष्ट निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, और प्रस्तावित आदेश के होते हुए भी, माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

[फा. सं. 19-6/2001-पीपी-1 खण्ड-II]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE**

**(Department of Articulture and Cooperation)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th October, 2005

**S.O. 1533 (E)** :—Whereas there have been widespread reports in the media alleging serious health deformities due to the use of Endosulfan in the casehew plantation areas in the State of Kerala;

And, whereas, the National Institute of Occupational Health (NIOH) conducted a study in the affected areas in Kasargod district of Kerala and reported higher prevalence of unusual diseases;

And, whereas, the Central Government set up an Expert Committee to review the safety of Endosulfan;

And, whereas, the Hon'ble High Court of Kerala in OP Nos. 20716/2002, 17026/2002, 16300/2001 and 29371/2001 passed and Interim Order on the 12th August, 2002 that pending further decision by the Central Government in the light of the advice tendered to it by the Expert Committee appointed to consider the hazards of Endosulfan, the use of Endosulfan, or any of its formulations under any trade name, shall not be permitted within the State until further orders with liberty to parties to move for modification of the said order in the light of the report of Expert Committee and the decision taken by the Central Government in the matter;

And, where, as the Central Government, after considering the recommendations of the said Expert Committee and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) has decided that the use of Endosulfan be kept on hold in the State of Kerala till such time that the results of the epidemiological study to pin-point the factors responsible for the health problems in Padre village become available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby proposes to make the following Order, namely :—

**DRAFT ORDER**

1. (1) The use of Endosulfan in Kerala State shall be kept on hold from the date of publication or the final notification till such time that the results of the epidemiological study to pin-point the factors responsible for the health problems in village Padre become available and a decision thereon is taken by the Central Government.

(2) The certificates of registration granted for Endosulfan shall be called back by the Registration Committee from all registrants including new registrants for incorporation of the requirement of the instruction in bold letters **"PROHIBITED FOR SALE, DISTRIBUTION AND USE IN THE STATE OF KERALA TILL FURTHER ORDERS"** on labels and leaflets.

(3) In respect of those registrants who do not return the registration certificate to the Registration Committee, as per this Order within a period of six months with effect from the date of publication of this notification, their license granted under Section 13 of the Insecticides Act, 1968, shall not be renewed and/ or action under Section 14 of the Act shall be taken.

2. The State Government of Kerala shall take all such steps in its jurisdiction as it may deem fit for carrying out this Order as per the Insecticides Act, 1968 and the rules framed thereunder.'

II. The draft Order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public.

Any person desirous of making any suggestions or objections in respect of the said draft Order may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture &Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi.

III. It is hereby clarified that the proposed putting on hold of the use of Endosulfan in Kerala is without prejudice to the directions of the Hon'ble High Court of Kerala referred to earlier, and the directions of the Hon'ble High Court shall be complied with, notwithstanding the proposed order.

[F. No. 19-6/2001-PP-I Vol.-II]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.